# प्लास्टिक आधार कार्ड के प्रयोग में बरतें सावधानी 

नई दिल्ली, प्रेट्ट : यदि आपने आधार कार्ड का किसी दुकान से लेमिनेशन करा रखा है या फिर प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहें। ऐसा करने पर आपके आधार का क्यूआर कोड काम करना बंद हो सकता है या निजी जानकारी चोरी हो सकती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (युआइडीएआइ) ने इसके इस्तेमाल को लेकर नागरिकों को चेताया है।

यूआइडीएआइ की ओर से जारी बयान के अनुसार, आधार को कोई हिस्सा, डाउनलोड किया गया या मोबाइल आधार पूरी तरह से मान्य है। आधार स्मार्ट कार्ड को प्रिटिंग पर 50 से 300 रुपये तक का खर्च आता है, जो बिल्कुल अनावश्यक है। प्लास्टिक या पीवीसी आधार स्मार्ट कार्ड अक्सर गैर-जरूरी होते हैं। इसकी वजह यह है कि गैर-अधिकृत प्रिंटंग से क्विक रेप्पांस (क्यूआर) कोड आमतौर पर काम करना बंद कर देते हैं।
बयान के अनुसार, ‘इसके अलावा यह भी आशंका है कि आप की मंजुरी के बिना ही गलत तत्वों तक आपकी निजी जानकारी साझा हो जाए। । युआइड़ीएआइ के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा, सामान्य कागज

दुरुपयोग की आशंका से रद नहीं हो सकता कोई कानून नई दिल्ली, प्रेट्र : आधार की वैधता पर मंगलवार को सुपीपम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्टे ने कहा, 'कानून की तय व्यवस्थ है कि दुरुपयोग की आशंकाके आधार परकिसी कानून को रद कर दिया जाए। कानून की संवैधानिकता अपवाद खरूप सामने आए एक या दो मामलों से तय नहीं होती है।' इस मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। आधार कार्ड पर सुनवाई कर रहे पांच जजों की संविधान पीठ नेंगलवार को कहा कि किसी कानून की संवैधानिकता उसके आम या सामान्य मामलों से तय होती है। खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पैरीी कर रहे वकील सिब्बल से पूछा कि कोर्ट कैसे यह तय करेगा कि कानून के लागू होने में खतरे का कितना स्तर पर्याप्त है? अदालत इस मामले को और गहराई से देखे या फिर इस कानून को ऐसा ही छोड़ दे? इस परसिब्बल अपना जवाब बुधवार को सुनवाई के दौरान देंगे।
पर डाउनलोड किया गया आधार कार्ड या फिर मोबाइल आधार कार्ड पूर्णतया मान्य है।

